(c) The Notification provides for establishment of green and orange category of industries with adequate pollution control. These include manufacture of beedis, soap, milk and dairy products, structural stone goods, stone dressing, polishing bamboo and cane products etc. which are primarily dependent on local resources and manpower.

(d) Yes, Sir.

विद्युत प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी परियोजनाओं को जल्दबाजी में पर्यावरणीय मंजूरी दिया जाना

3699. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल्दबाजी में और संबद्ध पर्यावरणीय समिति की सहमति के बिना राज्यों में विद्युत, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषत: गुजरात के सन्दर्भ में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं में शामिल गंभीर निहितार्थों को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): **(क) जी, नहीं।**

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नजगीरा वन उद्यान की खराब स्थिति

3700. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नजगीरा वन उद्यान में जलाभाव और अन्य कारणों से वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं ताकि भविष्य में इस तरह का संकट न आए?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) नजगीरा वन्यजीव अभयारण्य अत्याधिक गर्मी के कारण इस वर्ष जलाभाव का सामना कर रहा है। तथापि, वन्यजीवों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ऐहितियाती उपाय किए गए हैं।

(ख) वन्यजीवों को होने वाले खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित ऐहतियाती उपाय किए गए हैं:—

1. कृत्रिम वाटरहोल्स बनाए गए हैं।

2. प्राकृतिक और कृत्रिम वाटरहोल्स को प्रतिदिन भरा जाता है।

3. नगजीरा जलाशय को गहरा करना।

4. आग की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय शुरू किए गए।

"कचरे के हवन में पर्यावरण की आहूति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3701. **डा॰ महेश चन्द्र शर्मा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "कचरे के हवन में पर्यावरण की आहूति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) बेकार बैट्रियों से सीसा निकालने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस एवं अन्य आयातित कचरे के पुनर्प्रयोग/पुर्श्चक्रण से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने हेतु सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) अपशेषों के आयात के संबंध में सरकार की नीति क्या है और विभिन्न देशों से आयात किए जा रहे अपशेषों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) बेकार बैट्रियों से सीसा निकालने की प्रक्रिया और आयातित कचरे के पुनर्प्रयोग/पुनश्चक्रण से उत्पन्न उत्सर्जनों के नियंत्रण को निम्नलिखित अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों द्वारा नियमित किया गया है:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974।

2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।